वर्ष: 01 अंक: 11

आयोग की मासिक पत्रिका

एक कदम पारदर्शिता की ओर

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूजलेटर - मार्च - 2022

National Commission For Scheduled Castes

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110 003

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
न्यूजलेटर

वर्ष: 01 अंक: 11 मार्च 2022

National Commission for Scheduled Castes

संपादक
राजेश रंजन सिंह

ई–मेल : singh.rr9@gmail.com
@srajeshranjan

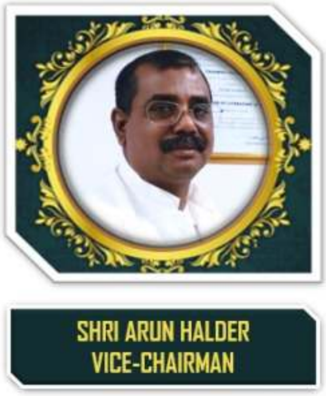

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रकाशित की जा रही मासिक पत्रिका का यह ग्यारहवां अंक है। आयोग लगातार अपनी इस मासिक पत्रिका के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों से अवगत कराने का प्रयास कर रहा है। ताकि अनुसूचित जाति वर्ग के वे लोग भी आयोग तक अपनी शिकायतों को पहुंचा सकें, जो जानकारी के अभाव में आयोग तक पहुंच ही नहीं पाते। बाबा साहेब आंबेडकर के विचारों का निष्कर्ष है कि समाज और देश को सभी प्रकार के अन्याय और अत्याचार से मुक्त करना, संगठित होना, शिक्षित होना, छुआछूत और भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करते रहना। आयोग देश के दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले अनुससूचित जाति वर्ग के लोगों को भी न्याय दिलाकर इस कुरीति को जड़ से मिटाने के लिए प्रयासरत है। आयोग की मासिक पत्रिका को सफल बनाने के लिए हम पूर्ववत ही आपसे सहयोग की आशा करते हैं।

धन्यवाद

(संपादक)

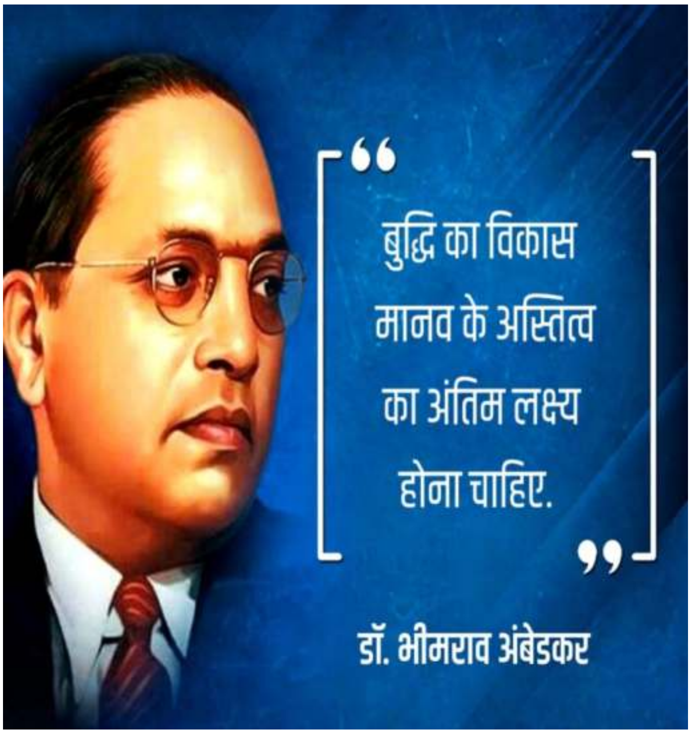

किसी भी प्रकार के सुझाव और शिकायतों के लिये संपर्क करें:

011 - 24620435 & 24606802

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi - 110003

website: http://ncsc.nic.in

ऑनलाइन शिकायत यहां दर्ज करें:

https://ncsc.negd.in/

@NCSC_GoI @NCSC.GoI @ncsc_goi

माननीय उपाध्यक्ष का संदेश

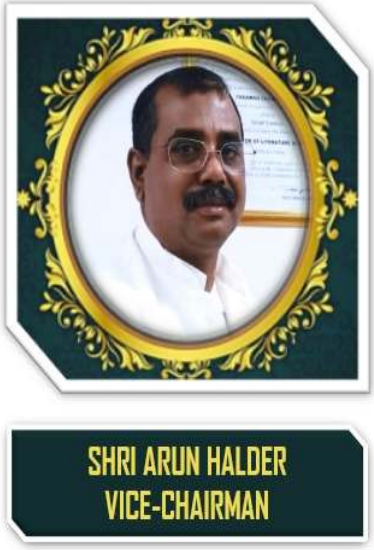

समाज में व्याप्त भेदभाव-पूर्ण व्यवस्था को समाप्त करने में बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर भी आयोग के समक्ष कई ऐसी घटनाएं आईं जो यह बताने के लिए काफी है कि देश के दूरस्थ इलाकों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति के लोग ही समाज के सताए हुए नहीं हैं बल्कि दिल्ली जैसे महानगरों में रहने वाले आर्थिक रूप से संपन्न लोग भी इसका शिकार हैं।

इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि अनुसूचित जाति के लोगों को लेकर आज के दौर में भी समाज में कितना भेदभाव है। संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत देशभर में वर्ष 2018 में 49,064 मामले, वर्ष 2019 में 53,515 मामले और वर्ष 2020 में 58,538 मामले दर्ज किए गए।

ऐसी घटनाओं पर आयोग ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की ताकि पीड़ितों को न्याय मिले और समाज में बदलाव लाने का संदेश भी फैले। आयोग लगातार अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थलीय जांच से लेकर आयोग के राज्य कार्यालयों और नई दिल्ली स्थित आयोग मुख्यालय में सुनवाई तक कर रहा है।

सोशल मीडया के माध्यम से मिल रही घटनाओं की जानकारी पर भी आयोग कारवाई कर रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग समाज के हाशिये पर खड़े अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और पूर्व की भांति भविष्य में भी आयोग का प्रयास रहेगा कि दूरस्थ गांव से लेकर शहर तक के अनुसूचित जाति वर्ग के किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भी भेदभाव या अन्याय न होने पाए।

इस संबंध में आयोग द्वारा लिए गए फैसलों और कार्यकलापों के बारे में पत्रिका के माध्यम से सभी तक जानकारी समय-समय पर पहुंचती रहे, ऐसी हमारी मंगल कामना है।

जय हिंद !

सादर धन्यवाद

अरूण हालदार

कार्यकारी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

बैठक

राज्यों में अनुसूचित जाति उप-योजना को लेकर बैठक

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मुख्यालय में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग व नीति आयोग (NITI Aayog) के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में राज्यों में अनुसूचित जाति उप-योजना (Scheduled Caste Sub Plan) की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की अगुवाई राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार जी ने की। इस बैठक में आयोग की माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला जी, माननीय सदस्य श्री सुभाष पारधी जी, संयुक्त सचिव श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह जी, निदेशक श्री कौशल कुमार जी भी उपस्थित रहे।

अनुसूचित जाति उप-योजना

अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना की रणनीति अनुसूचित जाति श्रेणी के लोगों के लिए योजनागत लाभों और परिव्ययों के उनके समुचित भाग का लाभ उठाने के लिए निधियों को चैनलाइजिंग करने के लिए आरम्भ की गई थी। अनुसूचित जाति उप-योजना की रणनीति ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केंद्रीय मंत्रालयों की वार्षिक योजनाओं में कम से कम वास्तविक तथा वित्तीय दोनों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में विकास के सभी क्षेत्रों से परिव्यय और लाभों का प्रवाह की चैनलाइजिंग करने की व्यवस्था है।

आयोग की सख्ती

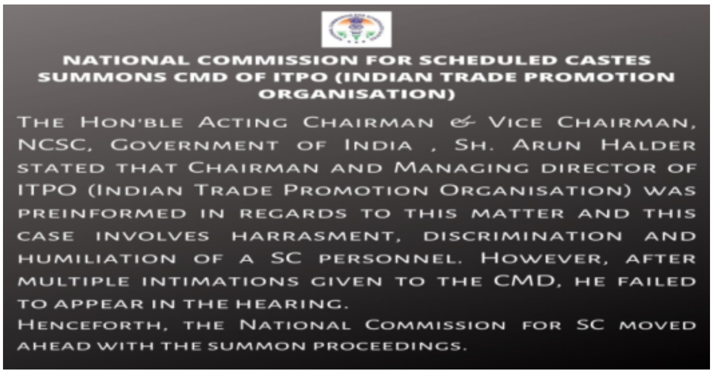

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES SUMMONS CMD OF ITPO (INDIAN TRADE PROMOTION ORGANISATION)

The Hon'ble Acting Chairman & Vice Chairman, NCSC, Government of India , Sh. Arun Halder stated that Chairman and Managing Director of ITPO (Indian Trade Promotion Organisation) was preinformed in regards to this matter and this case involves harrasment, discrimination and humiliation of a SC personnel. However, after multiple intimations given to the CMD, he failed to appear in the hearing.

Henceforth, the National Commission for SC moved ahead with the summon proceedings.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में आयोग ने सख्ती दिखाते हुए कई विभागों के अधिकारियों के खिलाफ समन जारी किया, जो आयोग द्वारा संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए बुलाए जाने के बाद भी नहीं आए।

स्थलीय जांच

कानूनी कार्रवाई करे प्रशासन

तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में एक दलित व्यक्ति की हत्या का मामले में आयोग के एक दल ने माननीय कार्यकारी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार जी के नेतृत्व में स्थलीय दौरा किया। श्री अरूण हालदार जी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कई दलित संगठनों द्वारा इस संबंध में आयोग को शिकायत दी गई थी। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में जातिगत भेदभाव की घटनाओं को देखकर दुख होता है। उन्होंने ये भी कहा कि घटना के बारे में पूछताछ करते हुए पोन्नाकन्नी गांव के लोग बात करने से कतरा रहे थे। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष ने दलितों को धमकाने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने व सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि कोयंबटूर स्थित सुलूर के पोन्नाकन्नी में लोगों के एक समूह ने 47 वर्षीय दलित व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या कर

सुनवाई

दुर्गापुर स्टील प्लांट में सुनी समस्याएं

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक दल ने पश्चिम बंगाल राज्य का दौरा किया। इस दौरे की अध्यक्षता आयोग के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार जी ने की। यहां पहुंचकर माननीय कार्यकारी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष देश के सबसे बड़े स्टील प्लांटों में से एस दुर्गापुर स्टील प्लांट पहुंचे, जहां स्टील प्लांट के अनुसूचित जाति-जनजाति कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष ने दुर्गापुर स्टील प्लांट के अनुसूचित जाति कर्मचारियों की समस्याओं को सुना।

आयोग के राज्य कार्यालय में सुनवाई

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला जी ने आयोग के राज्य कार्यालय लखनऊ का दौरा किया।

माननीय सदस्या ने यहां पर आये हुए व्यक्तियों की शिकायतें सुनी। माननीय सदस्या ने शिकायतों को सुनने के बाद संज्ञान लेते हुए शिकायतों के त्वरित एवं न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया।

इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

तेलंगाना राज्य का दौरा

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी जी ने तेलंगाना राज्य का दौरा किया। इस दौरान माननीय सदस्य ने अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों की शिकायतें सुनी। साथ ही उनके शिकायती पत्रों पर सुनवाई करते हुए इनके त्वरित एवं न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किया।

कार्यक्रम

कोयंबटूर में समस्याएं सुनते माननीय उपाध्यक्ष

तमिलनाडू के कोयंबटूर में एससी, एसटी वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आयोजित बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार जी पहुंचे। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष ने यहां पर अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारी तथा कर्मचारियों की समस्याओं पर संज्ञान लिया।

बैंकों के कर्मचारियों की समस्याएं सुनी

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला जी ने उत्तर प्रदेश राज्य का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीयकृत बैंको के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की। माननीय सदस्या ने समस्याओं पर संज्ञान लेकर न्यायोचित कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया।

अनुसूचित जाति वर्ग संबंधित समस्याओं पर साझा किए विचार

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी जी ने पंजाब राज्य का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जालंधर में LIC एससी/ एसटी संगटन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में उन्होंने अनुसूचित जातिवर्ग से संबंधित विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार साझा किये।

THE TIMES OF INDIA

aluru Hyderabad Kolkata Chennai Agra Agartala Ahmedabad Ajmer

WEATHER POLLUTION NEWS TAMIL NADU ELECTIONS

NEWS / CITY NEWS / COIMBATORE NEWS / End Dalit Discrimination: Minorities Panel

End dalit discrimination: Minorities panel

TNN / Mar 13, 2022, 04:17 IST

Coimbatore: A month after a group of people belonging to another caste thrashed a 47-year-old dalit man to death at Ponnakanni at Sulur, the vice-chairman of the National Commission for Scheduled Castes (NCSC), Arun Haldar, visited the victim's family on Saturday.

अमर उजाला

होम › देश शहर और राज्य मनोरंजन आईपीएल 2022 क्रिकेट चुनाव 2022 ज्योतिष दुनिया

Hindi News › Chandigarh › Commission Held A Meeting On 25 In PU SC-ST Scholarship Case

पीयू एससी-एसटी छात्रवृत्ति मामले में आयोग ने 25 को बुलाई बैठक

पंचकुला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Mar 2022 02:15 AM IST

चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने 19

नईदुनिया MENU राज्य चुनें LOCAL

ताजा खबरें बड़ी खबरें IPL 2022 कोरोना वायरस मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ देश विदेश खेल मनोरंजन बिज़नेस टेक्नोलॉजी धर्म राशिफल विचार शिक्षा

जबलपुर में सेंट अलायसेस स्कूल पोलीपाथर को अनुसूचित जाति आयोग का नोटिस

सेंट अलायसेस पोलीपाथर में कक्षा ग्यारहवीं की एक छात्रा को फीस जमा नहीं होने की वजह से बीच सत्र में निकाल दिया गया था

Publish Date: | Sat, 05 Mar 2022 01:54 PM (IST)

जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। सेंट अलायसेस हायर सेकेंडरी स्कूल पोलीपाथर द्वारा एक छात्रा को बीच सत्र में स्कूल से निकालना महंगा पड़ता दिख रहा है। पीड़ित छात्रा अनुसूचित जाति वर्ग की रही इसलिए इस मामले पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान ले लिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की ओर से इस मामले में सीबीएसई बोर्ड के सचिव, जबलपुर कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी और सेंट अलायसेस स्कूल के प्रबंधक को नोटिस जारी कर 10 मार्च को हैदराबाद स्थित आयोग के क्षेत्रीय मुख्यालय में हाजिर होने के लिए कहा गया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कार्यकारी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष माननीय श्री अरूण हालदार जी नई दिल्ली स्थित आयोग मुख्यालय में एक मामले की सुनवाई करते हुए। (ऊपर).
तमिल नाडु दौरे पर गए माननीय कार्यकारी अध्यक्ष- उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार जी को स्थानीय प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। (नीचे)

National Commission For Scheduled Castes

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110 003